

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./एन०ओ०सी०सेल/2015/1244

दिनांक : 10.05.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,

स्व० ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
देवाराकदीम महाराजगंज, आजमगढ़।

विषय:-प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक- 21.11.2014 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक-09 अगस्त 2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 28.02.2015 एवं चार सदस्यों की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी ने स्व० ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम महाराजगंज, आजमगढ़ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत एवं भूगोल विषयों/पाठ्यक्रमों में विषयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

1. उप जिलाधिकारी, लालगंज, आजमगढ़ के पत्र संख्या-2176/एस०टी०, दिनांक 28.02.2015 के अनुसार ग्राम महेशपुर त० सगड़ी जिला आजमगढ़ में गाटा संख्या 80 में 3.689 एकड़ तथा ग्राम देवरा कदीम में गाटा संख्या 737 में 0.500 एकड़ तथा गाटा संख्या 1112 में 0.912 एकड़ कुल 3 गाटा रकबा 5.101 एकड़ यानि 20659.05 वर्गमीटर है, जिसके सभी गाटे आपस में सटे हैं, यह भूमि अकृषित एवं महाविद्यालय के नाम विधित: अंतरित है। भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अन्यथा की दशा में अनापत्ति स्वत: निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अप्रडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2000-2(166)/2002, दिनांक-27 सितम्बर 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख/प्रपत्रों/प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वत: निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, लालगंज, आजमगढ़।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।